मनोरंजन कर विभाग

2- The powers and duties of its officers and employees

मनोरंजन कर विभाग में कार्यरत अधिकारियों एवं निरीक्षकों का मुख्य दायित्व अपने अधिकार क्षेत्र में स्थित आमोदगृहों की नियमित जांच कर सम्बंधित नियमों, अधिनियमों एवं शासनादेश व समय–समय पर जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराना है। इसके साथ ही आमोदों के विरूद्ध देय मनोरंजन कर निर्धारित अवधि में राजकोष में जमा कराना भी उनके दायित्वों में सम्मिलित है। विभाग के अधिकारियों एवं निरीक्षकों को उनके अधिकार क्षेत्र में स्थित किसी भी आमोद या ऐसे किसी स्थान का, जहां किसी प्रकार के आमोद के संचालन की सूचना / सम्भावना हो, उसके निरीक्षण का अधिकार प्राप्त है। निरीक्षण के दौरान वे आमोद से सम्बंधित उपकरण इत्यादि को कब्जे में लेने के लिये अधिकृत हैं। केबिल टेलीविजन नेटवर्क(विनियमन) अधिनियम, 1955 के अधीन विहित प्राधिकारी के रूप में विभाग के समस्त अधिकारी शासन द्वारा प्राधिकृत हैं जिसके अधीन उनको उक्त अधिनियम के अंतर्गत सक्षम अधिकारी के सभी अधिकारों का प्रयोग करने का अधिकार है। उत्तर प्रदेश आमोद एवं पणकर अधिनियम, 1979 के अधीन विभागीय अधिकारी को कर सम्मत भुगतान की अनुमति प्रदान करने, आमोदों से प्रतिभूति की धनराशि जमा कराने व उसे वापस करने तथा किसी कारण वश प्रदर्शन पूरा न हो पाने की की स्थिति में प्रदर्शन में शामिल धनराशि को वापस करने का अधिकार प्राप्त है। मनोरंजन कर विभाग के अधिकारी अपने विभाग से सम्बंधित आहरण वितरण अधिकारी के रूप में भी कार्य करते हैं।

मनोंरजन कर विभाग द्वारा सिनेमा लाइसेंस, अस्थायी सिनेमा का लाइसेंस, कर देय संचीय कार्यक्रम, वीडियो सिनेमा का लाइसेंस, वीडियो सुविधायुक्त होटल, वीडियो सुविधा युक्त वाहन, वीडियो/सी.डी.लाइब्रेरी एवं हार्स–रेस का लाइसेंस तथा केबिल संचालकों को संचालन की अनुमति एवं अन्य आमोदों के संचालन की अनुमति, सम्बंधित जिला मजिस्ट्रेट से स्वीकृत करायी जाती है जिसके निमित्त मनोरंजन कर विभाग के निरीक्षक द्वारा स्थलीय निरीक्षण करके अपनी संस्तुति/आख्या प्रेषित की जाती है। मनोरंजन कर निरीक्षकों द्वारा प्रेषित आख्या को विभागीय अधिकारी द्वारा आवश्यक परीक्षणों के उपरांत स्वीकृति हेतु जिला मजिस्ट्रेट को अग्रसारित किया जाता है। मल्टीप्लेक्स/छविगृह के स्थल अनुमोदन व निर्माण की अनुमति भी विभागीय अधिकारी/ निरीक्षक की आख्या/संस्तुति के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रदान की जाती है। समय–समय पर शासन द्वारा निर्गत अनुदान येाजनाओं के अधीन अनुदान की स्वीकृति विभागीय अधिकारी/निरीक्षक की आख्या के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रदान की जाती है।

आमोदों का लाइसेंस नियमानुसार स्वीकृत करने, मल्टीप्लेक्स/छविगृहों के स्थल अनुमोदन एवं निर्माण की अनुमति देने एवं अनुदान योजनाओं के अंतर्गत अनुदान स्वीकृत करने का अधिकार जिला मजिस्ट्रेट में ही निहित है।

वापस मुख्य पृष्ठ